न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 42/2021

दामोदर पुत्र मदनलाल जाति लखेरा निवासी रूदावल तहसील रूदावल जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपवास (रूदावल) तहसील रूदावल जिला भरतपुर।
2. सहायक अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी, खण्ड उच्चैन जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 12.10.2021 नायव तहसीलदार रूदावल। पत्रावली संख्या 08/21 उनवान रिपोर्ट सहायक अभियंता सा0नि0वि0 उच्चैन बनाम दामोदर लाल अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री गंगाराम शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक : 06.01.2022

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार बयाना दिनांक 12.10.2021 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 670 कुल रकवा 2.80 है0 से 135 वर्गफुट भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दाहेराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून एवं खिलाफ रिकार्ड आदेश पारित किया जो काविल मन्सूखी है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि प्रतापसिंह की आराजी अपीलान्ट के पुश्तैनी भवन/दुकान के पीछे स्थित है इसलिये उसने बदयान्ती से पी.डब्ल्यू.डी. एवं पटवारी हल्का से साज करके गलत तथ्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रतापसिंह चाहता है कि अपीलान्ट के पुश्तैनी भवन जो अपीलान्ट के परदादा के समय 100 वर्ष से भी अधिक समय से बना था जो अपीलान्ट के पूर्वजो ने बनवाया था और अपीलान्ट की पत्नी के स्वामित्व में है, विवादित भवन को अपीलान्ट पिता के भाई बटरा लखेरा ने दिनांक 03.12.2003 को वसीयत द्वारा अपीलान्ट की पत्नी रामप्यारी को दिया था। उक्त भवन में पहले अपीलान्ट के पूर्वज एवं अब अपीलान्ट उसकी पत्नी चूडी का काम करते आ रहे है, उनके पास अन्य कोई स्थान नहीं है और रोजगार का यही मात्र साधन है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित भवन आबादी क्षेत्र में स्थित है इसलिये उसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ही कोई कार्यवाही कर सकती है। नायव तहसीलदार को आबादी क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा 91 एलआरएक्ट के तहत कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। धारा 91 एलआरएक्ट के तहत कृषि भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार केवल तहसीलदार को ही है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट की पत्नी के भवन/दुकान के बगल में ही धर्मशाला एवं स्वयं प्रतापसिंह की दुकान स्थित है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

विवादित सम्बन्ध में नायव तहसीलदार ने कोई कार्यवाही नहीं की है और स्वार्थी लोगों के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपीलान्ट के विरूद्ध यह कार्यवाही की गई जो बदनाद पूर्ण एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित भवन के सम्बन्ध में दीवानी दावा दीवानी अदालत में लम्बित है इसलिये नायव तहसीलदार को कार्यवाही करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश ने भी विवादित भवन को आबादी में मानकर मौका कमिश्नर नियुक्त किया था। मौका कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में विवादित भवन को 100 वर्ष से अधिक पूर्व का बना हुआ माना हुआ है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत नायव तहसीलदार रूदावल के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2021 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2021 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। नायव तहसीलदार रूदावल द्वारा निर्णय दिनांक 12.10.2021 से पूर्व प्रतापसिंह पुत्र अजमतसिंह जाति ठाकुर निवासी रूदावल की शिकायत पर पटवारी हल्का रूदावल की रिपोर्ट दिनांक 11.11.2020 एवं सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उच्चैन के पत्र कमांक 54 दिनांक 09.02.2021 में अंकित किया है कि अपीलान्ट दामोदर लाल द्वारा अतिक्रमण किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पेश है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 17.03.2021 को राजस्थान भू राजस्व अधिनिमय की धारा 91 के तहत रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें अंकित किया कि आराजी खसरा नम्बर 670 रकवा 2.80 हैक्टे0 किस्म गैरमुमकिन सडक में से 15 फुट X 9 फुट कुल 135 वर्गफीट पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उच्चैन के बयान भी लिये गये है। अपीलान्ट द्वारा जबाब नोटिस में कथन किया है कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश रूपवास में प्रकरण विचाराधीन है लेकिन प्रकरण में स्थगन वगैरा का कोई भी विवरण अंकित नहीं किया गया है। नायव तहसीलदार रूदावल द्वारा प्रकरण में पूर्ण जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है। हम इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अस्तु अपील काविल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि:–

उपरोक्त विवेचनानुसार आपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली नायव तहसीलदार रूदावल को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर (राज.)